न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत गिदानी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 55 /2016

रज्जु दिनांकः 09/05/2016

निर्णय दिनांक : 11/06/2016

1. रामेश्वर पुत्र श्योजी
2. सूरज पुत्र श्योजी
3. जगदीश पुत्र श्योजी
4. भागचन्द पुत्र श्योजी
5. प्रभु पुत्र रामधन

समस्त जाति जाट, निवासीः ग्राम दांतरी, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

——वादीगण

बनाम

1. रामलाल पुत्र रामधन, जाति जाट, निवासीः दांतरी, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व तकासमा

उपस्थितः

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं।

निर्णय दिनांकः 11/06/2016

—: निर्णय :—

उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद बाबत घोषणा व तकासमा का न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पडासौली में इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 के आराजी खतौनी संख्या 207 के आराजी खसरा नंबर 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, कुल किता 01 कुल रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा जो

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, खतौनी संख्या 265 के आराजी खसरा नंबर 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 892 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 893 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 1812 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 1813 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 1815 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 5 हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व खतौनी संख्या 277 के आराजी खसरा नंबर 831 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 834 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 836 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, कुल किता 03 कुल रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/3, वादी संख्या 5 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पक्षकारान का सिजरा खानदान निम्नानुसार प्रस्तुत हैं।

रामधन पुत्र रूघा जाट

- श्योजी पुत्र (फौत)
  - रामेश्वर
  - सुरज
  - जगदीश
  - भागचन्द
- रामलाल पुत्र
- प्रभु पुत्र

उपरोक्त सिजरा अनुसार पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजी पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजीयात रही है। सिजरा के अनुसार पक्षकारान का पूर्वज रामधन पुत्र रूघा रहा है जिसके तीन पुत्र क्रमशः श्योजी, रामलाल व प्रभु हुये, श्योजी फौत हो चुका है, जिसके वारिश वादी संख्या 1 लगायत 4 है व प्रभु वादी संख्या 5 तथा रामलाल प्रतिवादी संख्या 1 है। विवादित आराजीयात में कुछ आराजीयात पक्षकारान की पैतृक व कुछ आराजीयात पक्षकारान की स्वअर्जित आराजीयात है, तीनो भाई श्योजी, रामलाल व प्रभु शामिल में ही निवास करते थे, तीनो भाईयो का पूजा, पाठ, भोजन एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार में होता था तथा विवादित आराजीयात पर भी मौके पर तीनो भाई 1/3–1/3 हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे थे लेकिन वरवकत क्रय व पर्चा वादीगण व प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

संख्या 1 के पिता रामधन अनपढ व भोले भाले होने से तीनो के नाम बराबर-बराबर दर्ज नहीं कर उक्त अनुसार कम ज्यादा दर्ज करवा दी गयी, जो कि गलत हुआ। अब वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अपनी सुविधा अनुसार उक्त आराजीयात को निम्न प्रकार से मौके पर बांटकर काबिज काश्त चले आ रहे है। परिशिष्ट 1 वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से में आयी आराजीयात खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 1812 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 1813 रकबा 15 बिस्वा में जो 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है वह वह अकेले श्योजी के वारिशान अर्थात वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से 1/2 रहेगा। खाता संख्या 277 में से खसरा नंबर 834 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संपूर्ण बहिस्सा बराबर-बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, वह अकेले श्योजी के वारिशान अर्थात वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से संपूर्ण रहेगा। खाता संख्या 207 में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। परिशिष्ट-2 वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से की आराजी खाता संख्या 207 में से खसरा नंबर 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा जो वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उसमें से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी संख्या 5 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 893 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में बराबर-बराबर दर्ज है वह संपूर्ण 1/2 हिस्सा वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से में रहेगा तथा व खसरा नंबर 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा बराबर-बराबर दर्ज है उसमें से 01 बीघा 08 बिस्वा वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से में रहेगा तथा शेष 01 बीघा 01 बिस्वा रामलाल के रहेगा। खाता संख्या 277 में से खसरा नंबर 836 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संपूर्ण दर्ज है वह संपूर्ण अकेले वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से में रहेगी। परिशिष्ट 3, प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के हिस्से की आराजी, खाता संख्या 207 में से खसरा नंबर 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा जो वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उसमें से 03 बीघा 10 बिस्वा प्रभु के हिस्से में जाने के पश्चात शेष बची 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के यथावत रहेगी। खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा जो हिस्सा 1/2 वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

बराबर–बराबर दर्ज है उसमें से 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि रामलाल के रहेगी। खाता संख्या 277 में से खसरा नंबर 831 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संपूर्ण दर्ज है वह संपूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रहेगा। परिशिष्ट 4, शामलाती, खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 892 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नंबर 1815 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है, वह यथावत रहेगा। उपरोक्त अनुसार पक्षकारान ने आराजीयात को बांटकर मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा इसी अनुसार ही पक्षकारान मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी अनुसार जिसके हिस्से में जो जमीन आयी है उसको पक्षकारान ने खाद बीज डालकर समतल कर काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है तथा इसी अनुसार घोषणा चाहकर बंटवारा करवाना चाहते हैं इसलिये मौके पर काबिज अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया जाना न्यायोचित है। चूंकि तीनो भाई शामिल में निवास करते थे इसलिये मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे कभी भी आपस में अविश्वास का प्रश्न नहीं रहा, जब–जब भी वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजीयात पैरा संख्या 4 में वर्णित अनुसार नाम लगाने बाबत कहा तो मात्र आश्वासन ही देता रहा कि मौके पर कब्जा काश्त है, कभी भी नाम लगवा देगे, लेकिन नाम नहीं लगवायी। अब वर्तमान में जमीनो की कीमते बढ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 की नियत उत्पन्न होने लग गया है इसलिये जब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से उपरोक्त आराजीयात मौखिक बंटवारा अनुसार नाम लगाने के लिये अंतिम बार दिनांक 08.05.2016 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजीयात नाम लगाने से साफ इंकार कर दिया जिससे वादीगण को वाद पत्र बाबत घोषणा व तकासमा पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। पक्षकारान के मध्य आये दिन मेर कोर को लेकर विवाद रहता है जिससे पक्षकारान के मध्य विवादित आराजीयात का वाद पत्र का मौखिक बंटवारा अनुसार काबिज काश्त अनुसार बंटवारा किया जाकर लगान की फेटबंदी व खाता अलहदा–अलहदा किया जावे। पक्षकारान के मध्य आये दिन मेर कोर को लेकर भी विवाद रहता है इसलिये यह वाद बाबत तकासमा का भी पेश किया जाना आवश्यक हुआ है इसलिये विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मौके पर काबिज अनुसार वाद पत्र में वर्णितानुसार तकासमा कर लगान की फेटबंदी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

अलहदा–अलहदा किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी संख्या 2 भू धारक होने से पक्षकार कायम किये गये है।

वादीगण ने दावा के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री फरमाया जाकर विवादित आराजीयात वर्णित वाद पत्र का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 को वाद में वर्णितानुसार व मौके पर काबिज काश्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त घोषित हिस्से अनुसार एवं मौके पर काबिज अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के मध्य विवादित आराजीयात का विभाजन किया जाकर लगान की फेटबंदी व खाता अलहदा–अलहदा कायम किये जाने के आदेश प्रदान करावे। डिक्री की पालनार्थ हेतु तहसीलदार दूदू को लिखा जावे। खर्चा मुकदमा वादी का प्रतिवादी संख्या 1 से दिलवाया जावे।

पत्रावली कैम्प कोर्ट पडासौली में प्रस्तुत हुई। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पक्षकारान ने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये कि जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 के आराजी खतौनी संख्या 207 के आराजी खसरा नंबर 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा, कुल किता 01 कुल रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, खतौनी संख्या 265 के आराजी खसरा नंबर 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 892 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 893 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 1812 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 1813 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 1815 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 5 हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 1/6 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व खतौनी संख्या 277 के आराजी खसरा नंबर 831 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 834 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 836 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, कुल किता 03 कुल रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/3, वादी संख्या 5 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 1/3 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

पक्षकारान की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजीयात रही है। पक्षकारान का पूर्वज रामधन पुत्र रूघा रहा है जिसके तीन पुत्र क्रमशः श्योजी, रामलाल व प्रभु हुये, श्योजी फौत हो चुका है, जिसके वारिश वादी संख्या 1 लगायत 4 है व प्रभु वादी संख्या 5 तथा रामलाल प्रतिवादी संख्या 1 है। विवादित आराजीयात में कुछ आराजीयात पक्षकारान की पैतृक व कुछ आराजीयात पक्षकारान की स्वअर्जित आराजीयात है, तीनो भाई श्योजी, रामलाल व प्रभु शामिल में ही निवास करते थे, तीनो भाईयो का पूजा, पाठ, भोजन एक ही छत के नीचे संयुक्त परिवार में होता था तथा विवादित आराजीयात पर भी मौके पर तीनो भाई 1/3–1/3 हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे थे लेकिन वरवकत क्रय व पर्चा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता रामधन अनपढ व भोले भाले होने से तीनो के नाम बराबर–बराबर दर्ज नहीं कर उक्त अनुसार कम ज्यादा दर्ज करवा दी गयी, जो कि गलत हुआ। अब वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अपनी सुविधा अनुसार उक्त आराजीयात को निम्न प्रकार से मौके पर बांटकर काबिज काश्त चले आ रहे है। परिशिष्ट 1 वादीगण संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से में आयी आराजीयात खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 1812 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 1813 रकबा 15 बिस्वा में जो 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है वह वह अकेले श्योजी के वारिशान अर्थात वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से 1/2 रहेगा। खाता संख्या 277 में से खसरा नंबर 834 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संपूर्ण बहिस्सा बराबर–बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, वह अकेले श्योजी के वारिशान अर्थात वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से संपूर्ण रहेगा। खाता संख्या 207 में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। परिशिष्ट–2 वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से की आराजी खाता संख्या 207 में से खसरा नंबर 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा जो वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उसमें से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी संख्या 5 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 893 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में बराबर–बराबर दर्ज है वह संपूर्ण 1/2 हिस्सा वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से में रहेगा तथा व खसरा नंबर 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज है उसमें से 01 बीघा 08 बिस्वा वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

में रहेगा तथा शेष 01 बीघा 01 बिस्वा रामलाल के रहेगा। खाता संख्या 277 में से खसरा नंबर 836 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संपूर्ण दर्ज है वह संपूर्ण अकेले वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से में रहेगी। परिशिष्ट 3, प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के हिस्से की आराजी, खाता संख्या 207 में से खसरा नंबर 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा जो वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उसमें से 03 बीघा 10 बिस्वा प्रभु के हिस्से में जाने के पश्चात शेष बची 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के यथावत रहेगी। खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा जो हिस्सा 1/2 वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बराबर–बराबर दर्ज है उसमें से 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि रामलाल के रहेगी। खाता संख्या 277 में से खसरा नंबर 831 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संपूर्ण दर्ज है वह संपूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रहेगा। परिशिष्ट 4, शामलाती, खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 892 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नंबर 1815 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है, वह यथावत रहेगा। उपरोक्त अनुसार पक्षकारान ने आराजीयात को बांटकर मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा इसी अनुसार ही पक्षकारान मौके पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। इसी अनुसार राजीनामा में वर्णितानुसार दावा डिक्री किया जाता है तो मुझ प्रतिवादी संख्या 1 को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है बल्कि हमारी पूर्ण सहमति है। मुताबिक राजीनामा दावा वादीगण डिक्री किया जाकर राजस्व अभिलेखो में इन्द्राज करवाया जावे।

पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान ने राजीनामानुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 फोर्मल पक्षकार है जिनके विरूद्व कोई अनुतोष वाद में नहीं चाहा गया।

पक्षकारान के निवेदन पर गौर किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, राजीनामा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आराजी खसरा नंबर 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, खसरा नंबर 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 892 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 893 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 1812 रकबा 08 बिस्वा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

नंबर 1813 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 1815 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 06 कुल रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा वादीगण संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/6, वादी संख्या 5 हिस्सा 1/6 व प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/6 एवं खसरा नंबर 831 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 834 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 836 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, कुल किता 03 कुल रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम दांतरी, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादीगण संख्या 1 लगायत 4 हिस्सा 1/3, वादी संख्या 5 हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है।

चूंकि पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा में वादीगण के वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य तकासमा किया जाता है कि खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 1812 रकबा 08 बिस्वा व खसरा नंबर 1813 रकबा 15 बिस्वा में जो 1/2 हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है वह अकेले श्योजी के वारिशान अर्थात वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से 1/2 रहेगी। खाता संख्या 277 में से खसरा नंबर 834 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संपूर्ण बहिस्सा बराबर–बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, वह अकेले श्योजी के वारिशान अर्थात वादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से संपूर्ण रहेगी। खाता संख्या 207 में वादीगण संख्या 1 लगायत 4 का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। खाता संख्या 207 में से खसरा नंबर 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा जो वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उसमें से 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी संख्या 5 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 893 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में बराबर–बराबर दर्ज है वह संपूर्ण 1/2 हिस्सा वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से में रहेगी तथा खसरा नंबर 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज है उसमें से 01 बीघा 08 बिस्वा वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से में रहेगी तथा शेष 01 बीघा 01 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल की रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 277 में से खसरा नंबर 836 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संपूर्ण दर्ज है वह संपूर्ण अकेले वादी संख्या 5 प्रभु के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या 207 में से खसरा नंबर 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा जो वर्तमान में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है उसमें से 03 बीघा 10 बिस्वा प्रभु के हिस्से में जाने के पश्चात शेष बची 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में यथावत रहेगी। खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा जो हिस्सा 1/2 वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बराबर–बराबर दर्ज है उसमें से 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के रहेगी। खाता संख्या 277 में से खसरा नंबर 831 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में संपूर्ण दर्ज है वह संपूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रहेगी। खाता संख्या 265 में से खसरा नंबर 892 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नंबर 1815 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है, वह यथावत रहेगी। तकासमा अनुसार पक्षकारान के हिस्से में आयी आराजीयात का खातेदार काश्तकार भी घोषित किया जाता है। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

तहसीलदार दूदू को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार एवं राजीनामानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 11/06/2016 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत गिदानी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी मुद्रा दूदू जिला जयपुर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प अटल सेवा केन्द्र गिदानी

श्री सावन कुमार चायल (R.A.S)

1. रामेश्वर 2. सूरजु 3. जगदीश बनाम 1. रामलाल पुत्र रामधन जाट नि० दांतरी
4. भागचन्द पुत्रान श्योजी बाबत घोषणा व तकासमा 2. तहसीलदार तहसील दूदू
5. प्रभू पुत्र रामधन मुकदमा नं. 55/2016 सन
जाट नि० दांतरी

[illegible] आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू

द [illegible] मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि [illegible]

अतः वादीगण का वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के मध्य तकासमा किया जाता है कि खाता सं० 265 में से ख०नं० 1812 रकबा 08 बिस्वा व ख०नं० 1813 रकबा 15 बिस्वा में जो 1/2 हि० वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 के नाम से बहिस्सा बराबर-बराबर दर्ज है वह अकेले श्योजी के वारिशान अर्थात वादी सं० 1 ला० 4 के नाम से 1/2 रहेगी। खाता सं० 277 में से ख०नं० 834 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम से सम्पूर्ण बहिस्सा बराबर-बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, [illegible]

[illegible] मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11-06-2016

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
[illegible]			स्टाम्प अर्जी		
[illegible]			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

Scanned by CamScanner

~. वह अकेले श्योजी के वारिसान ~~अथवा~~ अर्थात वादी सं० 1 व
4 के नाम से सम्पूर्ण रहेगी। खाता सं० 207 में वादीगण
सं० 1 व 4 का कोई हिस्सा नहीं रहेगा। खाता सं० 207
में ख० नं० 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा जो वर्तमान
में अकेले प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज है उसमें से 03
बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी सं० 5 के हिस्से में रहेगी।
खाता सं० 265 में से ख० नं० 893 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा
जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम से
हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में बराबर-बराबर दर्ज है वह
सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा वादी सं० 5 प्रभु के हिस्से में रहेगी तथा
ख० नं० 825 रकबा 04 बीघा 18 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण
एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम से 1/2 हि० बराबर-बराबर दर्ज है
उसके से 01 बीघा 08 बिस्वा वादी सं० 5 प्रभु के हिस्से में रहेगी
तथा शेष 01 बीघा 01 बिस्वा प्रतिवादी सं० 1 रामलाल की रहेगी।
खाता सं० 277 में से ख० नं० 836 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा
जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम से सम्पूर्ण
दर्ज है वह सम्पूर्ण अकेले वादी सं० 5 प्रभु के हिस्से में रहेगी।
खाता सं० 207 में से ख० नं० 538 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा
जो वर्तमान में अकेले प्रतिवादी सं० 1 के नाम से दर्ज है
उसमें से 03 बीघा 10 बिस्वा प्रभु के हिस्से में जाने के पश्चात
शेष बची 01 बीघा 17 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से
में यथावत रहेगी। खाता सं० 265 में से ख० नं० 825 रकबा
04 बीघा 18 बिस्वा जो हिस्सा 1/2 वर्तमान में वादीगण व
प्रतिवादी सं० 1 के नाम से बराबर-बराबर दर्ज है उसमें
से 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रतिवादी सं० 1 रामलाल के
रहेगी। खाता सं० 277 में से ख० नं० 831 रकबा 01 बीघा =x.

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

२२. 05 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण दर्ज है व सम्पूर्ण प्रतिवादी सं० 1 के हिस्से में रहेगी। खाता सं० 265 में के ख.सं० 892 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा व ख.सं.1815 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज से 1/2 हिस्सा बहिस्सा बराबर-बराबर दर्ज है, वह यथावत रहेगी। बकाया अनुतोष पक्षकारान के हिस्से में आयी आराजीयात का खातेदार काश्तकार भी घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी